

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में  
सी०एम०पी० संख्या-352/2019

रमेश प्रसाद गुप्ता

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार, डोरंडा, रांची।
3. संयुक्त सचिव, श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार, डोरंडा, रांची।
4. आयुक्त, पलामू डिवीजन, मेदिनीनगर, पलामू।
5. उपायुक्त, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, लातेहार।
6. उप विकास आयुक्त, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, लातेहार।
7. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, लातेहार।

..... विपक्षी पार्टियाँ

**कोरम:** माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिए : श्री प्रदीप कु० देवमणि, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री जय प्रकाश, ए०ए०जी०

**03/दिनांक 24वीं जनवरी, 2020**

यह सिविल विविध याचिका, रिट याचिका डब्ल्यूपी० (सी०) सं० 3244/2018 की पुनःस्थापन हेतु दायर की गई है जो 09.05.2019 को खारिज कर दी गई थी।

उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस सिविल विविध याचिका में की गई प्रार्थना पर आपत्ति नहीं जताई है।

यह न्यायालय, पूर्वोक्त सबमिशन पर विचार करने के बाद, रिट याचिका डब्ल्यूपी0 (सी0) सं0 3244/2018 को अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापित करना उचित और सही समझता है।

इसके मद्देनजर, इस सिविल विविध याचिका की अनुमति है, तदनुसार, निपटाया जाता है।

इसके परिणामस्वरूप, डब्ल्यूपी0 (सी0) सं0 3244/2018 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)